



48/11

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 / 28 / 76 / एक / 2018-19

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-आगरा।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्ता की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50147974848	IFSC Code ALLA0210126	625.360

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	आगरा	म०ब०-83	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 57 की म० मलिन बस्ती छोटा उखर्रा में चरन सिंह के मकान से राजवीर के मकान तक, चौक, मुकेश से अरुन के मकान तक, विक्रम मकान से भोलाराम के मकान तक, जुमनादास के मकान से मुरारीलाल के मकान तक, रमेश चन्द के मकान से संतोष के मकान तक, ब्रान्च, राम प्रसाद के मकान से शंकरलाल के मकान तक, दिनेशचन्द्र के मकान से समीर के मकान तक, पवन के मकान से लक्ष्मण के मकान तक, भौरो नाथ के मकान से नतथीलाल के मकान तक, गिराज सिंह के मकान से गोरी शंकर के मकान तक, खाली प्लाट से विक्की के मकान तक, भरत सिंह के मकान से राकेश के मकान तक, मुन्नालाल के मकान से पप्पे राठौर के मकान तक, धनीराम के मकान से भोले के मकान तक, रमेशचन्द के मकान से बी०बी० राजपूत के मकान तक, गौरिलाल के मकान से भूप सिंह के मकान तक, रामकली के मकान से भूप सिंह के मकान तक, के०पी० के मकान तक, रोशनलाल के मकान से सुरेश के मकान तक, स्कूल से मन्दिर तक, राजू से सतीश के मकान होते हुए जयन्ती तक, राजेन्द्र कुमार के मकान से निर्मला देवी के मकान तक, गुलाब सिंह के घर से अशोक के घर तक, सुरेश के घर से संजय के घर तक, कप्तान के घर से हरीशंकर के घर तक, ओम प्रकाश के घर से मनोज गुप्ता के घर तक, किशोर के घर से पोप सिंह के घर तक, दीवान सिंह के घर से नन्दे मल के घर तक, सिकन्दर के घर से अनिल के घर तक, रामबाबू के घर से प्रमुदयाल के घर तक काजीलाल के घर से प्यारेलाल स्कूल तक, खेमचन्द के घर से राम निवास के घर तक, राम निवास के घर से लालाराम के घर तक, गीताराम के घर से राकेश के घर तक, दीप बिल्डिंग मैटीरियल से गुरु दयाल के घर तक, राधेश्याम के घर से पण्डित तक, सत्यदेव पाराशर के घर से ओम प्रकाश के घर तक, कालीचरण दुबे के घर से दरोगा के घर तक श्रीराम	205.641



48/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
				इण्टर कालेज से महताब के घर तक दिनेशचन्द के घर से राकेश शर्मा के घर तक, ब्रान्च तथा खाली प्लॉट से राधेश्याम के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
2	आगरा	म०ब०-83	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 65 प्रकाश नगर में हर बिलास के मकान से हरीओम के मकान तक, रामवीर के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, मीनादेवी के मकान से मुन्नू के मकान तक, मनोज के मकान से महेशचन्द के मकान तक, गरुचरन के मकान से लोकेन्द्र के मकान तक, हरपाल के मकान से श्रीदयाल के मकान तक, सफीखान के मकान से छोटे खों के मकान तक, मुन्नू के मकान से छोटे खों के मकान तक, बनवारी के मकान से सुनील के मकान तक, नितिन के मकान से नानकचन्द के मकान तक सीताराम के मकान से सोनू के मकान तक, अन्नू के मकान से भजनलाल के मकान तक, सुरेन्द्र के मकान से भोजराम के मकान तक, मनीराम के मकान से रामनाथ के मकान तक, सुनील के मकान से मुरारी के मकान तक, मनीराम के मकान से हरीप्रसाद के मकान तक, भूरी के मकान से दाताराम के मकान तक, कालीचरन के मकान से बृजेश के मकान तक, राजेन्द्र के मकान से शंकर के मकान तक, गोपी के मकान से अभय के मकान तक, दीपचन्द्र के मकान से तान सिंह के मकान तक, नत्थी के मकान से सियाराम के मकान तक, चन्द्रभान के मकान से भगतवान दास के मकान तक, एवं खगन के मकान से हीरालाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	77.600
3	आगरा	म०ब०-83	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 50 मो० सीतानगर नाई वाली गली में रल्लो के मकान से रामबाबू के मकान तक एवं रामबाबू के मकान से रमन की दुकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.791
4	आगरा	म०ब०-83	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 58 मो० गुलाब नगर में रूप श्रंगार के मकान से जसवन्त सिंह के मकान तक, विस्सराम के मकान से मनोज के मकान तक एवं नेकराम के मकान से मुख्य सड़क में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.892
5	आगरा	म०ब०-83	न०पा०प० बाह	वार्ड नं० 06 एवं 15 मो० ट्यूबैल कॉलोनी, बाल्मीकि बस्ती में कचौरा मार्ग पर पूर्व ब्लाक प्रमुख आनन्द भदौरिया के घर से वाल्मीकि बस्ती होते हुए छोटे चौराहे (कल्लू तक) इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.939

✓



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व मु०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
6	आगरा	म०ब०-83	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 15 मलिन बस्ती नगला परसोती नई आबादी में राजवीर के मकान से सन्जू के मकान तक, केशव के मकान से धनवान सिंह के मकान तक, गिर्राज के मकान से मुकेश के मकान तक, धर्मवीर के मकान से दर्शन सिंह के मकान तक, लाखन वाली गली, गिर्राज सिंह के मकान से विनय के मकान तक, यमुनादास के मकान से हरीशंकर के मकान तक, सन्जू के मकान से दुर्गेश के मकान तक, भूरा के मकान से विनोद के मकान तक एवं ब्रान्च में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	43.551
7	आगरा	म०ब०-83	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 48 मो० मलिन बस्ती नरीपुरा में बी०डी० स्कूल से मोंगेलाल के मकान तक, मांगे लाल के मकान से रामबाबू के मकान तक, द्वारिका प्रसाद के मकान से हरी सिंह के मकान तक, धनश्याम वाली गली, नैमीचन्द के मकान से तेज सिंह के मकान तक, गोपाली के मकान से हरी सिंह के मकान तक, उदल सिंह के मकान से मुन्नालाल के मकान तक, रमेश के मकान से जगन सिंह के मकान तक, सुनहरीलाल के मकान से राजू के मकान तक, मौहर सिंह के मकान से गनपत के मकान तक, शिवनरायन के मकान से हरी सिंह के मकान तक, दयानन्द के मकान से धारा सिंह के मकान तक, माधो सिंह के मकान से रवि दयाल के मकान तक एवं सुनील के मकान से छिंगालाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	38.942
8	आगरा	मु०अ०-37	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 69 सुभाषपुरम बोदेला में श्रीराम गारमेन्ट से गुड्डु के मकान से राकेश राम प्रसार से शमशुद्दीन के मकान तक, हाजी शमशुद्दीन के मकान से महेश अग्रवाल के मकान तक, मन्दिर वाली गली एवं डा० तेज सिंह के मकान से चन्द्रभान माहौर के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	18.933
9	आगरा	मु०अ०-37	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 48 में नगला प्यारे (सौहल्ला) में मन्दिर से कुँवर सिंह के मकान तक, चौक, सल्ला से राजेन्द्र के मकान तक, प्रताप सिंह के मकान से हरी प्रसाद महीपाल से राकेश के मकान तक, राकेश के मकान से देवदत्त के मकान तक, राकेश के मकान से बीघा के मकान तक, पप्पू के मकान से छुट्टन के मकान तक, हरी प्रसाद के मकान से सुन्दर के मकान तक, ज्ञान के मकान से बीघा के मकान तक, शीला के	22.625



48/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-suda.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
				मकान से प्रेम सिंह के मकान तक, सुन्दर के मकान से आकाश के मकान तक, गोविन्द के मकान से नत्थी के मकान तक, मलिन के मकान से नत्थी के मकान तक, अशोक के मकान से ज्ञान सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	
10	आगरा	मु०अ०-37	न०नि० आगरा	वार्ड न० 58 में जे०डी० शर्मा के मकान से बृजेश चौहान के मकान तक, सुभाष गुप्ता के मकान से अशोक शर्मा के मकान तक, शान्ती वाटिका से सुभाष एवं देवेन्द्र शर्मा से गिरीश शर्मा के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	30.285
11	आगरा	मु०अ०-37	न०नि० आगरा	वार्ड न० 30 में बस्ती अवधपुरी (अतबतियां) में शिव शंकर के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, सरोज के मकान से ख्याली शर्मा के मकान तक, ख्याली राम के मकान से धवन के मकान तक, धवन के मकान से अभिषेक के मकान तक, एल०आर० सोनी के मकान से म०न० 352 तक, रामबाबू के मकान से रवि के मकान तक, रवि के मकान से चेतन शर्मा के मकान तक, विजय कुमार के मकान से दरोगा के मकान तक, दरोगा के मकान से उदयवीर के मकान तक, उदयवीर के मकान से रुकमणि के मकान तक, मुरारी के मकान से कृष्ण स्वरूप के मकान तक, भरद्वाज के मकान से विजय कुमार के मकान तक, मैरिज होम से नवाब सिंह के मकान तक, ऋतुवार से इम्पीरियल पब्लिक स्कूल एवं ब्रान्च में नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	90.327
12	आगरा	मु०अ०-37	न०नि० आगरा	वार्ड न० 67 में इन्द्रप्रस्थ बस्ती विचपुरी रोड बोदला पर मयूर गैस के सामने गंगा प्रसाद वाली गली, जगराम वाली गली, मातीलाल के मकान से पप्पू के मकान तक, पप्पू के मकान से मुकेश के मकान तक एवं किशन के मकान से कमलेश के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	16.445
13	आगरा	मु०अ०-37	न०नि० आगरा	वार्ड न० 13 मो० मल्लाह टोला में जगदीश बघेल के मकान से विजय के मकान तक, राधा मोहन के मकान से अनिल के मकान तक तथा मोहल्ला कानुनगो में छेदीलाल के मकान से पोलाराम के मकान तक एवं दयाराम के मकान से महताब के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.390
	योग				625.361



48/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



48/6

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक